

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 92/2023 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)
मणिमदनम होम फाइनेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- 10, ट्राॅपिकल ड्राइव, एम जी
रोड, घिटोरनी, नई दिल्ली।


प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री समय सिंह गुर्जर पुत्र श्री श्याम गुर्जर,
2. श्रीमती बबीता पत्नी श्री समय सिंह गुर्जर,
पता- 25, गुर्जर कॉलोनी, सुहारी, भरतपुर।
एवं आईएन पीएचएडी, सब डिविजन वैर, रघुनाथ सेट के बाग के पास, भुसावर
एवं प्लॉट नं. 159, सियाराम विहार, ग्राम बगराना, आगरा रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002
उपस्थित -

1. श्री रवि कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 17.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.02.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती बबीता के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 159, सियाराम विहार, ग्राम बगराना, आगरा रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज को बन्धक रख कर 18,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मलीमाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 18,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि

५००

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

